

# बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश

(अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत सृजित)

19, महर्षि दयानन्द मार्ग,

इलाहाबाद।

## सामान्य निर्देश

बार काउंसिल ऑफ इण्डिया सार्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वैरीफिकेशन) नियम, 2015 के द्वारा बनाये गये नवीनीकरण फार्म को भरने सम्बन्धी सामान्य निर्देश:-

1. यह फार्म पूर्ण कर अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव के द्वारा प्रमाणित करवाकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में जमा करना होगा। यदि आवेदक अधिवक्ता किसी भी बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं है, तो कारण लिखें।
2. यह फार्म केवल उन अधिवक्ताओं के लिये है, जिनको पूर्व में सी.ओ.पी. जारी किया जा चुका है और उनके सी.ओ.पी. की वैधता तिथि समाप्त होने वाली है/समाप्त हो चुकी है। यह नियम बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा लागू किया गया है।
3. नवीनीकरण फार्म के साथ अधिवक्ता कोई एक प्रमाण जैसे वकालतनामा, काज लिस्ट, केस स्टेट्स, आदेश, प्रश्नोत्तरी, नियुक्ति पत्र(शासकीय व अर्धशासकीय अधिवक्ता), नोटरी पत्र, ओथ कमिश्नर नियुक्ति पत्र, सेल डीड या अन्य कोई रजिस्ट्री पत्र, शपथ पत्र, निर्णय, टैक्सेशन में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता द्वारा कोई ऐसा प्रमाण जिससे यह स्पष्ट हो कि अधिवक्ता विधि व्यवसाय कर रहा है आदि की छायाप्रति संलग्न करें।(उपरोक्त प्रपत्र केवल 04 वर्षों के अर्थात् वर्ष 2018, 2019, 2021 एवं 2022 के संलग्न करें। कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 की छूट दी जाती है।
4. पिछले 05 वर्ष में यदि कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, तो उसका विवरण व स्थिति उल्लिखित करें।
5. रुपये 500/- (पांच सौ) का निर्धारित शुल्क नकद रूप से लिया जायेगा।
6. सार्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वैरीफिकेशन) के नवीनीकरण फार्म का फोटोस्टेट भी मान्य है तथा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट [www.upbarcouncil.com](http://www.upbarcouncil.com) पर सार्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (नवीनीकरण) फार्म डाउनलोड कर सकते हैं।

राकेश पाठक

सदस्य सचिव

राज्य विधिज्ञ परिषद् उत्तर प्रदेश।

**Renewal Form  
Certificate of Practice (COP)**

To be submitted by Advocates after expiring of COP period of 5 years  
ALL ENTRIES SHALL BE MADE IN CAPITAL LETTERS  
As per the Bar Council of India Rules  
(Under the Advocates Act 1961)

Fix a passport  
size photograph

Renewed COP No. R ..... (for office use)

1. NAME.....
2. FATHER'S NAME.....
3. PRESENT  
ADDRESS.....  
.....  
..... PIN CODE:.....
4. ENROLLMENT Number U.P. .... Date of Enrollment.....
5. Date of Birth..... Mobile.....
6. Place of Practice .....
7. Old COP Number..... (Attach a photocopy of certificate & ID)
8. Name of Bar Association/place where you want to cast your vote in the Election of Bar Association (District Headquarter) .....  
(Munsif Court) .....  
(Tehsil Court) .....  
Any other Court .....
9. Place where you intend to cast your vote in the elections of State Bar Council  
.....
10. Renewal fees Rs.500/- in Cash.

I do hereby declare that all the information given above are true and correct, if any of the information is found to be false, then I will be liable to be prosecuted under the criminal law/ any law of State.

Recommended by

Signature of Candidate

Signature with Seal of President/Secretary/  
Office-bearer of the Bar Association

Signature of Bar Council Member  
(or the Authorized signatory of B.C.I.)

Date.....

**Note:**

1. One extra photograph to be attached.
2. Voting right shall be changeable after 3(three) years for concern advocate.
3. Bar Council reserves right to call all relevant documents for verification purposes on renewal forms, if so necessary or required.

